

Hiring of Specialist (Anesthetist & Gynecologist) for performing Caesarian Section in Government Institutions

TERMS OF REFERENCE

Applications invited from Gynecologists & Anesthetists on per Caesarian Case basis in CEmOC institutions where Specialists are not posted or on leave.

Remunerations for Services Provided

1. Gynecologist – Rs. 3000/ Caesarian Case

Rs.1000 for Follow up visit if required in case of Emergency

2. Anesthetist – Rs. 2000 / Caesarian Case

Mobility Support – Reimbursement of Mobility support will be done by District/ Block Program Management Unit as follows

S. No.	Kilometer	Amount in Rs.
1	0 – 50 Km	Rs.500
2	50 – 75 Km	Rs.750
3	75 – 100 Km	Rs.1000
4	100 – more Km	Rs.1200 (Maximum)

List of Non Functional CEmOC Institutions enclosed.

Facilities with Gynecologist but without Anesthetist

S.No.	District	Name of Block	Name of Delivery Points	Type of Facility	Level of Institution
1	Betul	Multai	Multai	CHC	Level 3
2	Dhar	Sardarpur	Sardarpur	CHC	Level 3
3	Dhar	Manawar	Manawar	CHC	Level 3
4	Gwalior	Urban	Birlanagar	CH	Level 3
5	Indore	Sanwer	Sanwer	CHC	Level 3
6	Jabalpur		Patan	CHC	Level 3
7	Jabalpur		Shahpura	CHC	Level 3
8	Khargone	Maheshwar	Maheshwar	CHC	Level 3
9	Neemuch		Manasa	CHC	Level 3
10	Rajgarh	Biaora	Biaora	CH	Level 3
11	Ratlam	Jaora	Jaora	CH	Level 3
12	Rewa		Mauganj	CHC	Level 3
13	Sagar		Deori	CHC	Level 3
14	Shivpuri	Pichchore	Pichchore	CHC	Level 3
15	Vidisha	Basoda	Ganjbasoda	CH	Level 3
16	Vidisha	Sironj	Sironj	CH	Level 3

Facilities with Anesthetist but without Gynecologist

S.No.	District	Name of Block	Name of Delivery Points	Type of Facility	Level of Institution
1	Bhind	GOHAD	Gohad	CHC	Level 3
2	Dhar	Badnawar	Badnawar	CHC	Level 3
3	Morena	SABALGARH	Sabalgarh	CHC	Level 3
4	Panna	Pawai	Pawai	CHC	Level 3
5	Ujjain	Khachrod	Nagda	CH	Level 3

Facilities without Anesthetist and Gynaecologist

S.No.	District	Name of Block	Name of Delivery Points	Type of Facility	Level of Institution
1	Agar	Susner	Susner	CHC	Level 3
2	Anuppur	Pushprajgarh	Pushprajgarh	CHC	Level 3
3	Ashoknagar	Chanderi	Chanderi	CHC	Level 3

S.No.	District	Name of Block	Name of Delivery Points	Type of Facility	Level of Institution
4	Balaghat	Katangi	Katangi	CHC	Level 3
5	Betul	Ghodadongri	Ghodadongri	CHC	Level 3
6	Betul	Bhaisdehi	Bhaisdehi	CHC	Level 3
7	Chhindwara	Amarwara	Amarwara	CH	Level 3
8	Damoh	Hatta	Hatta	CH	Level 3
9	Damoh	Jabera	Jabera	CHC	Level 3
10	Datia	Bhander	Bhander	CHC	Level 3
11	Dindori	Shahpura	Shahpura	CHC	Level 3
12	Guna	Beenaganj	Beenaganj	CHC	Level 3
13	Jabalpur		Majholi	CHC	Level 3
14	Katni	Bhoriband	Bhoriband	CHC	Level 3
15	Khandwa	Moondi	Moondi	CHC	Level 3
16	Raisen	Begamganj	Begamgunj	CH	Level 3
17	Raisen	Bareli	Bareli	CHC	Level 3
18	Rewa	Tyothar	Tyothar	CH	Level 3
19	Satna	Nagod	Nagod	CHC	Level 3
20	Shahdol	Beohari	Beohari	CH	Level 3
21	Shahdol	Jaisinghnagar	Jaisinghnagar	CHC	Level 3
22	Sheopur	Vijaypur	Vijaypur	CHC	Level 3
23	Shivpuri	Badarwas	Badarwas	CHC	Level 3
24	Shivpuri	Karera	Karera	CHC	Level 3
25	Sidhi	Rampurnaikin	Rampurnaikin	CHC	Level 3
26	Tikamgarh	Jatara	Jatara	CHC	Level 3
27	Tikamgarh	Privthivipur	Privthivipur	CHC	Level 3
28	Umaria	Pali	Pali	CHC	Level 3
29	Alirajpur	Jobat	Jobat	CHC	Level 3
30	Anuppur	Kotma	Kotma	CHC	Level 3
31	Chhatarpur	Luvkushnagar	Luvkushnagar	CHC	Level 3

S.No.	District	Name of Block	Name of Delivery Points	Type of Facility	Level of Institution
32	Singrauli	Chitrangi	Chitrangi	CHC	Level 3
33	Burhanpur	Burhanpur	Shahpur	CHC	Level 3
34	Chhatarpur	Badamalehra	Badamelhra	CHC	Level 3
35	Datia	Indergarh	Sewda	CH	Level 3
36	Dewas	Bagli	Bagli	CHC	Level 3
37	Neemuch	Singoli	Singoli	CHC	Level 3
38	Panna	Ajaygarh	Ajaygarh	CHC	Level 3
39	Singrauli		Singrauli	DH	Level 3
40	Alirajpur		Alirajpur	DH	Level 3



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल



क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2015/442

भोपाल, दिनांक 13/07/2015

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश

विषय:—सीमॉक लेवल 3 संस्थाओं को क्रियाशील करने हेतु विशेषज्ञों की सेवाएँ लेने के संबंध में।

संदर्भ:—इस कार्यालय का पत्र क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2014/35, भोपाल दिनांक 21.01.2015।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा सीमॉक संस्थाओं में सीजेरियन ऑपरेशन करने हेतु निजी विशेषज्ञों की सेवाएँ प्रति केस के मान से लेने हेतु निर्देशित किया गया था। ऐसी संस्थाओं में जहाँ विशेषज्ञ पदस्थ नहीं है अथवा अवकाश पर हैं, इनमें निजी क्षेत्र के स्त्री रोग विशेषज्ञ, निश्चेतना विज्ञान विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जानी थी।

वर्ष 2015-16 की स्वीकृत कार्ययोजना में भारत शासन द्वारा Conditionalities के आधार पर HPD जिलों में 3% से 5% प्रोत्साहन राशि एवं समस्त जिलों में 3% से 5% पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। इन Conditionalities में समस्त सीमॉक संस्थाओं को क्रियाशील करने हेतु उल्लेख किया गया है। इस हेतु उप जिला स्तरीय सीमॉक संस्थाएँ (सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) पर न्यूनतम 10 सिजेरियन प्रति माह किये जाने हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उप जिला स्तरीय अक्रियाशील सीमॉक संस्थाओं में सीजेरियन सेवाएँ प्रदान करने हेतु विशेषज्ञों की सेवाएँ निम्नानुसार ली जायें:—

1. ऐसी संस्थाएँ जहाँ विशेषज्ञ (निश्चेतना विज्ञान/स्त्रीरोग विशेषज्ञ) पदस्थ नहीं है अथवा अवकाश पर हैं, इस स्थिति में निजी क्षेत्र के निश्चेतना विज्ञान विशेषज्ञ की सेवाएँ रु. 2000/- प्रति सीजेरियन केस एवं निजी क्षेत्र के स्त्रीरोग विशेषज्ञ की सेवाएँ रुपये 3000/- प्रति केस के मान से विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। सिजेरियन उपरांत महिला का फॉलोअप चेकअप संस्था में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाये। जटिलता एवं आकस्मिकता की स्थिति में आवश्यक होने पर स्त्रीरोग विशेषज्ञ की सेवाएँ फॉलोअप चेकअप हेतु रुपये 1000/- प्रति फॉलोअप विजिट के मान से प्राप्त की जा सकती हैं। सिजेरियन के दौरान नवजात शिशु की देखभाल संस्था पर कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ/एन.एस.एस.के. प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाये। स्त्रीरोग विशेषज्ञ की सेवाएँ प्राथमिकता के आधार पर ली जायें परंतु यदि स्त्रीरोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में सीजेरियन सेक्शन करने में अनुभवी/प्रशिक्षित सर्जन की सेवाएँ भी उपरोक्तानुसार मानदेय पर ली जा सकती हैं।

- 2 शासकीय संस्था में पदस्थ निश्चेतना विज्ञान विशेषज्ञ /पी.जी.एम.ओ की सेवाएँ रु. 2000/- प्रति केस एवं अन्य शासकीय संस्था में पदस्थ स्त्रीरोग विशेषज्ञ /पी.जी.एम.ओ/सीजेरियन सेक्शन में प्रशिक्षित अथवा अनुभवी जर्नल सर्जन की सेवाएँ रुपये 3000/- प्रति केस के मान से ली जा सकती है। सीजेरियन उपरांत महिला का फॉलोअप चेकअप संस्था में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाये। जटिलता एवं आकस्मिकता की स्थिति में आवश्यक होने पर स्त्रीरोग विशेषज्ञ की सेवाएँ फॉलोअप चेकअप हेतु रुपये 1000/- प्रति फालोअप विजिट के मान से प्राप्त की जा सकती है। सिजेरियन के दौरान नवजात शिशु की देखभाल संस्था पर कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ/एन.एस.एस.के. प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाये।
- 3 यदि जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ पदस्थ नहीं है अथवा अवकाश पर है ऐसी स्थिति में भी उपरोक्तानुसार विशेषज्ञों की सेवायें सीजेरियन हेतु ली जा सकती है।

विशेषज्ञों को अक्रियाशील सीमॉक संस्था पर आने जाने हेतु मोबिलिटी सर्पोट जिला एवं विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक यूनिट द्वारा निम्नानुसार प्रतिपूर्ति के आधार पर उपलब्ध कराया जाये

स.क्र.	कि.मी.	रुपये
1	0 से 50	500
2	50 से 75	750
3	75 से 100	1000
4	100 से अधिक	1200 (अधिकतम)

विशेषज्ञों हेतु राज्य स्तर से समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।

सीजेरियन हेतु इन्डीकेटेड केसेस का चिन्हांकन:-

अक्रियाशील सीमॉक के संस्था प्रभारी का दायित्व होगा कि जिन महिलाओं को elective सीजेरियन होना है उन्हें सूचीबद्ध सेक्टर ऑफिसर के सहयोग से किया जाये। सेक्टर ऑफिसर उनके कार्यक्षेत्र में आने वाली महिलाओं का ANC चेकअप कर सीजेरियन हेतु पात्र महिलाओं (CPD, breech presentation, placenta Previa, Transverse lie Previous LSCS etc.) का चयन कर सीजेरियन हेतु संस्था प्रभारी को अवगत करायेगें। संस्था प्रभारी द्वारा महिला की

आवश्यक जांचें तथा OT की व्यवस्था की जायेगी तथा यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा डीएचओ-1 के माध्यम से विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर सीमॉक संस्थावार कार्ययोजना दिवसवार, चिकित्सकवार तैयार करवा कर अक्रियाशील सीमॉक संस्थाओं पर सीजेरियन करवाना सुनिश्चित करें।

उक्त गतिविधि जिले की कार्ययोजना में गतिविधि क्र. A.8.1.10 में स्वीकृत है। अतः उक्त गतिविधि को दिये गये दिशानिर्देश अनुसार संपादित कर गतिविधि में होने वाले व्यय की प्रविष्टी एफएमआईएस सॉफ्टवेयर में दर्ज करवाना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

o/c (डॉ. बी.एन.चौहान)
संचालक, एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश।

भोपाल, दिनांक 13/07/2015

पृष्ठ क्र./एन.एच.एम./एम.एच./2015/443
/2015

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, वित्त एन.एच.एम. मध्यप्रदेश।
7. समस्त ओ.आई.सी./एस.पी.एम.यू., एनएचएम, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
9. उप संचालक, मानव संसाधन, एनएचएम, मध्यप्रदेश।
10. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
11. समस्त संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
12. समस्त डीएचओ-1, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
13. संस्था प्रभारी..... अक्रियाशील सीमॉक संस्था।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।

o/c संचालक, एन.एच.एम.
मध्यप्रदेश।